कामकाजी महिला

वर्ष 5 अंक 8 दिसम्बर, 1993 मूल्य : 2 रु०

आईए, हम एक होकर साम्प्रदायिक शक्तियों और सरकार की जन-विरोधी नीतियों को पछाड़ दें

चार राज्यों के चुनाव परिणामों से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को गहरा धक्का लगा है क्योंकि वे शीघ्र ही केन्द्र पर शासन करने का दिवा स्वप्न देख रहे थे। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाले लोगों को तीन राज्यों में भाजपा की पराजय और राजस्थान में जहां उसे कांग्रेस के मुकाबले मामूली बहुमत प्राप्त हुआ और वह सरकार बना सकती है, के समाचार सुनकर भारी राहत मिली है। अयोध्या में राम जन्मभूमि और रथयात्रा से सम्बन्धित प्रचार की उनकी रणनीति उतनी सफल नहीं रही, जितनी उन्हें आशा थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जनता ने उसकी सरकारों की कारगुजारी देखी है, शायद इसीलिए उसने भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया। सर्वसाधारण की उचित शिकायतों को दूर करने की अपेक्षा मध्यप्रदेश में सरकारी मशीनरी का प्रयोग, 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने हेतु, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। वे भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की सहायतार्थ कुछ नहीं कर सके और न ही उन्होंने बाजार में आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के भाव को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश में तो उनकी (भाजपा) सरकार ने हड़ताली सरकारी कर्मचारियों का दमन किया। उत्तर प्रदेश में यदि सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट हो जाती तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया हो जाता।

यह एक तथ्य हैं कि जनता दल जैसी सभी धर्म-निरपेक्ष पार्टियों ने साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए उतनी गम्भीरता के साथ संघर्ष नहीं किया है जितनी उनसे आशा की जाती थी और न ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों को बेनकाब किया है, जो उन्हें करना चाहिए था। इन्हीं बातों का परिणाम इन राज्यों में इस दल की शर्मनाक पराजय के रूप में निकला है।

[शेष पृष्ठ 16 पर]

इस अंक में

आईए, हम एक होकर साम्प्रदायिक शक्तियों और सरकार की जन-विरोधी नीतियों को पछाड़ दें	2
आंध्रप्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन राज्य समिति की बैठक	3
बच्चों की देखभाल कार्यक्रम के लिए फोसिस की वर्कशाप	4
प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन वापस लेने की मांग	5
चण्डीगढ़ में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल धरना एवं रैली	6
बीड़ी मजदूरों का शोषण बंद कराओ : बोरा को पत्र	7
धनबाद में महिलाओं ने जिलाधीश का घेराव किया	7
हिन्दी भाषी राज्यों के समाचार	8
डंकल प्रस्ताव और कामकाजी महिलाएं	9
महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी महिलाओं ने गिरफ्तारियां दीं	10
केरल में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष	11
जी. टी. बी अस्पताल में पूर्ण हड़ताल	12
महिला समस्याओं पर पटना में राज्य-स्तरीय धरना	12
महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी महिलाओं की जीत	13
रूसी महिलाओं का क्रांतिकारी अभिनन्दन	14

फोटो : लाल सेना को सम्बोधित करते हुए बी आई लेनिन

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन राज्य समिति की बैठक

हेमलता

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन व राज्य समिति की बैठक गत 16 अक्तूबर को विजयवाड़ा में हुई। बैठक में पांच जिलों से आए 8 सदस्यों ने भाग लिया। दो सदस्यों ने अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग लेने से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। समिति ने यूनियन गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ उसे सुदृढ़ करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया।

12 जुलाई को कई परियोजनाओं में मांग दिवस मनाया गया था। राज्य केन्द्र की ओर से 5,000 पैम्फलेट जारी किये गए। विजाग एवं अमलापुरम की ओर से भी स्थानीय समस्याओं को दर्शाने वाले पैम्फलेट वितरित किये गए। चार हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरनों में भाग लिया। हैदराबाद में का. सरोजा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल संयुक्त निदेशक से मिला और उन्हें एक ज्ञापन भेंट किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात् अधिकांश परियोजनाओं में कार्यकर्ताओं को वेतन का भुगतान नियमित रूप से होने लगा है।

सुपरवाइजर की असामी के लिए लिखित परीक्षा लेने के प्रश्न पर यूनियन कार्यकर्ता कई बार निदेशक तथा महिला कल्याण मंत्री से मिल चुके हैं किन्तु अभी तक लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही। इस प्रश्न पर पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया गया और दो हजार से अधिक पोस्टकार्ड मंत्री को भेजे गए। मंत्री ने यूनियन पदाधिकारियों के सामने इन कार्डों के मिलने की पुष्टि करते हुए आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को निपटाएंगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में स्थगन आदेश समाप्त कराने की दिशा में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु महबूब नगर तथा विजाग में जिला स्तरीय कक्षाओं का आयोजन किया गया। नवंबर के प्रथम सप्ताह के दौरान आदिलाबाद तथा खम्माम में भी कक्षाएं लगाने का निर्णय किया गया। निजामाबाद में जिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जिला की सभी परियोजनाओं से संबंधित लगभग 1,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

यद्यपि यूनियन की ओर से सभी जिलों और राज्य की कुल 150 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाओं के कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है किन्तु अभी भी संगठन को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष अब तक यूनियन की कुल सदस्य संख्या 1,400 है। सदस्यों ने दिसम्बर से पूर्व और 3600 सदस्य बनाने के लिए कोटे निश्चित किये हैं। सभी जिलों में जिला समितियां बनाने, कक्षाओं का आयोजन करने तथा आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु जिला नेतृत्व को विकसित करने का निर्णय किया गया था। यूनियन ने सीटू की जिला समितियों से कहा था कि वे एक-एक ऐसे कामरेड की ड्यूटी लगाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। विजाग जिला समिति ने पहले ही एक पूर्णकालिक कामरेड को इस काम में लगा दिया था और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। श्री काकुलम तथा विजयनगरम ने भी अब एक-एक कामरेड को आंगनवाड़ी यूनियन का काम करने के लिए नियुक्त कर दिया है। दिसम्बर में आयोजित की जा रही कक्षा में लगभग 60 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसका आयोजन कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति की ओर से किया जा रहा है।

समिति ने आंगनवाड़ी परियोजनाओं को गैर सरकारी संगठनों के हवाले करने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। वह अनुभव करती है कि इस प्रस्ताव के विरोध में अन्य जन संगठनों तथा जनता के

[शेष पृष्ठ 13 पर]

बच्चों की देखभाल कार्यक्रम के लिए फोर्सिस की वर्कशाप

नीना राव

50 संगठनों पर आधारित फोर्सिस वर्कशाप की स्थापना 1989 में की गई थी। उद्देश्य था 6 वर्ष की आयु-समूह के बच्चों जिनके परिवार अत्यन्त दरिद्र एवं सुविधाहीन हैं, के लालन-पालन की आवश्यकताओं को पूरा करना। इन बच्चों की संख्या 5-6 करोड़ के बीच है। इसके साथ ही 15 करोड़ वे महिलाएं भी हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके सामने अपने और अपने बच्चों के किसी तरह जीवित रहने का प्रश्न मुंह बाए खड़ा रहता है।

वर्कशाप का उद्देश्य ऐसा नेटवर्क तैयार करना था जिससे निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित बनाया जा सके :

1. न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के रूप में बच्चों की देखभाल।

2. बाल अधिकारों के लिए कानून की दृष्टि से काम करना जिसकी पुष्टि भारत सरकार ने भी की है।

3. बच्चों की देखभाल के लिए कोष बनाने की मांग करना।

4. सभी इच्छुक पार्टियों, आंदोलनों और संगठनों जैसे ट्रेड यूनियनें तथा एन जी ओस, संसद सदस्यों तथा विधायकों को इस प्रश्न पर इकट्ठे करना ताकि बच्चों की देखभाल की मांग पर उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके।

वीना मजूमदार (सी डब्ल्यू डी एस) ने बच्चों का प्रश्न एस ए पी (संरचनात्मक संयोजन कार्यक्रम) के ढांचे के अन्तर्गत उठाते समय अनुभव किया कि संसाधनों की कमी के कारण सरकारी सहायता कम हुई है। यह इसलिए भी हुआ है क्योंकि बच्चों की देखभाल का प्रश्न राष्ट्रीय एजेंडे में नहीं है।

हमीदा हबीबुल्ला (आई सी सी डब्ल्यू) ने एन जी ओस द्वारा बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता में कमी और समाज कल्याण कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल के प्रति साम्प्रदायिक दृष्टिकोण जैसा गलत रुझान भी इन दिनों देखने को मिल रहा है।

नीना राव (ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू) का विचार था कि फंड अभाव होने के कारण बच्चों की देखभाल की सेवाएं प्रभावित नहीं होती अपितु राजनीतिक वचनबद्धता न होने के कारण ही ऐसा होता है। अनवरत एवं एकताबद्ध संघर्ष चलने के कारण ही आंगनवाड़ी आंदोलन कुछ लाभ प्राप्त करने में सफल हो सका है।

इस प्रश्न पर लगभग आम सहमति थी कि यदि आंगनवाड़ी के प्रशासन में से फंडों और संसाधनों की गड़बड़ियों को रोक दिया जाय तो आई सी ओ एस के कामकाज में सुधार लाया जा सकता है।

फोर्सिस के कई सदस्यों का कहना था कि आई सी डी एस द्वारा बच्चों की देखभाल के लिए अपर्याप्त और न्यूनतम स्तर से भी रद्दी माल की आपूर्ति होती है। इससे एन जी ओस की दिलचस्पी का पता चलता है जो अपने कार्यकर्त्ताओं और प्रशिक्षण में सुधार हेतु आवश्यक उपाय ही नहीं कर रहीं। सरकार के कार्यक्रम भी इसके लिए काफी नहीं हैं। योजना आयोग की सलाहकार डाक्टर सरला गोपालन ने बताया कि इन दिनों नीति निर्धारित करने वाले क्षेत्रों में यह विचार पाया जा रहा है कि आई सी डी एस के काम को एन जी ओ के हवाले कर दिया जाए जिससे उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, इसका विस्तार किया जा सके और आई सी डी एस वर्कर का बोझ कम किया जा सके।

इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या स्थानीय माताएं, एन जी ओस, महिलाएं सामूहिक रूप से तथा आई सी डी एस वर्कर आपस में विचार-विमर्श करके अपने कामों में सुधार ला सकते हैं। आमतौर पर ऐसे सहयोग के लिए इसे एक रचनात्मक कदम माना जा रहा है।

श्रीमती वीना वर्मा संसद सदस्य, सुमिता सैनी (डी एस डब्ल्यू बो) तथा श्रीमती सेनापति (एन जी ओ) का विचार था कि देखभाल करने और प्रशिक्षण देने सम्बन्धी एन जी ओस की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इस वर्कशाप का सर्वाधिक रौशन पक्ष उन बच्चों के साथ जो क्रैच में बड़े हुए हैं, चलती-फिरती क्रैचों में सुबह का समय व्यतीत करना और बच्चों का ज्यों-ज्यों वे बड़े हो रहे हैं, संगठनों के साथ सम्बन्ध बनाए रखना। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के लोग और सामाजिक कार्यकर्त्ता बच्चों के देखभाल के लिए पूरी ईमानदारी के साथ की गई अपील से प्रभावित हुए हैं।

वर्कशाप में अपनाई गई रणनीति इस प्रकार थी :

(1) न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संसद, मीडिया और कारोबारी संगठनों पर ध्यान केन्द्रित करना ताकि बच्चों की देखभाल हेतु उनसे सहायता प्राप्त की जा सके।

2. बच्चों की देखभाल संबंधी विधेयक का प्रारूप बनाना।

3. बच्चों की देखभाल के नये कार्यक्रम बनाना और पुराने कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।

ललिका सरकार (सी डब्ल्यू डी एस) तथा नीना राव (ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू) विधेयक के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करेंगी। वृंदा सिंह और मीना स्वामीनाथन (फोसिस, तमिलनाडु) इन कार्यक्रमों का समायोजन करेंगी।

इस वर्ष के लिए फोसिस की स्टीयरिंग कमेटी में इन संस्थानों को शामिल किया गया है :

ए आई डब्ल्यू सी, मोबाइल क्रैच, आई सी सी डब्ल्यू, ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, एफ सी ए आई, एस ई डब्ल्यू ए, सी डब्ल्यू डी एस, वाई डब्ल्यू सी ए तथा वी एच ए आई को को-आप्ट किया जा सकता है।

प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन वापस लेने की मांग

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) ने महिलाओं के लिए दो बच्चों के पश्चात् प्रसूति लाभ को बन्द करने सम्बन्धी कांग्रेस सरकार के प्रस्तावित अभियान की कड़ी निंदा की है। उसने मांग की है कि प्रसूति लाभ अधिनियम 1973 में किया गया यह संशोधन वापस लिया जाए। यह कदम देश में जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के बहाने से उठाया गया है। जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए समिति ऐसे कदमों का पूर्णतया विरोध करती है जिनके रहते महिलाओं को बिना किसी अपराध के दण्डित किया जा रहा हो। पहले ही विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के मालिक महिलाओं को रोजगार देने से इन्कार कर रहे हैं क्योंकि उस स्थिति में उन्हें विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश और लाभ देने और क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन अधिनियमों के लागू होने पर भी महिलाओं को प्रसूति लाभ नहीं मिलते और न ही क्रैच की व्यवस्था की जाती है क्योंकि सरकारी तंत्र जिस पर इन प्रावधानों को कार्यरूप देने का उत्तरदायित्व है उनकी पूर्णतया उपेक्षा करता है और कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं करता।

महिलाओं की आजीविका एवं कल्याण के लिए ठीक ढंग से शिक्षा, साक्षरता एवं रोजगार सुविधाएं जुटाने के स्थान पर सरकार उन्हें नौकरियों और लाभों से वंचित एवं दण्डित करने के लिए दमनात्मक कानूनी धाराएं ला रही है। यह बात भी दुखदायी है कि महिलाओं के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग ने भी इस तथ्य के बावजूद कि वह महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, सरकार के इस अभियान को अपनी हरी झंडी दिखा दी है।

समिति मांग करती है कि इस संशोधन को वापस लिया जाए और शिक्षा के बेहतर तरीके सुझाए जाएं, परिवार नियोजन केन्द्रों तथा महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार लाया जाए।

चण्डीगढ़ में आंगनवाड़ी महिलाओं का विशाल धरना एवं रैली

पंजाब में 5 नवम्बर को आंगनवाड़ी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने निदेशक समाज कल्याण पंजाब के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। वे अपनी काफी समय से लम्बित उचित मांगों के प्रति सरकार के रूखे एवं कठोर व्यवहार के विरुद्ध भारी रोष व्यक्त कर रहीं थीं। यूनियन द्वारा धरना देने के आह्वान को आंगनवाड़ी महिलाओं का जबरदस्त प्रतियुत्तर मिला और राज्य भर से 2000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उत्साहपूर्वक चण्डीगढ़ पहुंचीं। धरना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे 11-00 बजे शुरू हुआ। धरने में भाग लेने वाली महिलाएं तो प्रभात-बेला से ही धरना-स्थल पर पहुंचनी शुरू हो गई थीं। संगरूर और कपूरथला के अतिरिक्त शेष सभी जिलों की महिलाओं ने इस धरने में भाग लिया। सबसे बड़ा अर्थात् 500 महिलाओं का जत्था अकेले लुधियाना जिला से ही आया था। कुल 62 ब्लाकों में से 50 ब्लाकों से भारी संख्या में महिलाओं का धरना देने के लिए आना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य में आंगनवाड़ी आंदोलन तेजी से विकसित होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी जुझारू अभिव्यक्ति वास्तव में ही दर्शनीय थी।

यूनियन की अध्यक्षा कामरेड राजविन्द्र कौर के भाषण के साथ ही सवेरे ठीक 11 बजे इस प्रभावशाली धरने का शुभारम्भ हुआ। उन्होंने इस कार्रवाई के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए यूनियन की मांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके पश्चात् महिलाओं ने यूनियन की मांगों के पक्ष में सरकार की श्रमिक-विरोधी नीतियों और नौकरशाही की भ्रष्ट कार्रवाईयों के विरोध में आकाश गुंजा देने वाले ऊंचे स्वर में नारे लगाए। उन्होंने मांगे माने जाने तक संघर्ष जारी रखने का अपना निश्चय व्यक्त किया। पूरे 34 सैक्टर में जहां निदेशक का कार्यालय स्थित है 'हम भारत की नारी हैं—फूल नहीं चिंगारी हैं' और 'कदम कदम पर लड़ना सीखो-जीना है तो मरना सीखो' जैसे नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन की ओर से उसकी अध्यक्षा कामरेड विमल रणदिवे ने धरने में भाग लिया।

शीघ्र ही धरना एक जनसभा में परिवर्तित हो गया। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब की महासचिव कामरेड निर्मल कांता ने सारी कार्रवाई का संचालन किया। जनसभा में श्रीमती राजरानी, सुरेन्द्र कौर रक्खड़, जागीर कौर, सुखजीत कौर जैसी राज्य स्तरीय नेताओं के अतिरिक्त कई अन्य वक्ताओं ने भाषण दिये। सभी वक्ताओं ने उन कठिनाईयों का वर्णन किया जिनका सामना आंगनवाड़ी महिलाओं को कर्त्तव्य पालन के समय करना पड़ता है। उन्होंने यूनियन की उचित मांगों को स्वीकार करने में सरकार के मामले के लम्बा खींचने के दावपेचों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने नन्हें बच्चों के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री के आबटन में कुछ अधिकारियों के भ्रष्टाचार, कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती में व्याप्त भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कुछ मामलों की चर्चा की। पंजाब जनवादी स्त्री सभा, पंजाब सुबार्डिनेट सर्विसिज फेडरेशन, स्त्री मुलाजम समन्वय समिति, पंजाब मनिस्टीरियल सर्विसिज यूनियन तथा टैक्नीकल सर्विसिज यूनियन (पी एस ई बी) जैसे भ्रातृ संगठनों के कुछ नेताओं ने भी जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघर्ष के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

कामरेड विमल रणदिवे ने अपने एक घण्टे तक चले भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के निदेशों पर अपनाई गई केन्द्रीय सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन जन-विरोधी नीतियों के कारण श्रमिकों, और उनमें भी कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और मजदूर वर्ग के जीवन एवं आजीविका के लिए संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आंगनवाड़ी संगठन के कामों को गैर सरकारी संगठनों को देकर उसका निजीकरण करने सम्बन्धी सरकार के अभियान की कड़ी आलोचना की और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी पूरी शक्ति से सरकार के इस घिनावने अभियान का प्रतिकार करें। उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अखिल

भारतीय फेडरेशन सरकार के इस जन विरोधी अभियान को विफल करने में कोई कसर शेष नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये अपनी एकता को अटूट बनाएं और सरकार के निर्देशों पर अपनी पंक्तियों में फूट के बीज बोने वाले कुछ स्वार्थी एवं अवसरवादी तत्वों के विच्छेदक दावपेचों के प्रति सदा सतर्क रहें।

यूनियन का मांग पत्र लेने के लिये विभाग के निदेशक स्वयं जनसभा में आए। प्रमुख मांगों में राज्य में पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं अन्य लाभों का भुगतान आंगनवाड़ी महिलाओं को करना, सुपरवाइजर के पद पर आंगनवाड़ी महिलाओं की 100 प्रतिशत पदोन्नति, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 6 मास का प्रसूति अवकाश देना, पश्चिम बंगाल के समान त्योहार भत्ता और राज्य को शेष ब्लाकों में आंगनवाड़ी परियोजनाएं शुरू करना इत्यादि शामिल थीं।

निदेशक ने मांग पत्र पर विचार करने हेतु यूनियन के एक शिष्टमण्डल को बातचीत का निमंत्रण दिया। जनसभसा की समाप्ति पर यूनियन का शिष्टमण्डल मांग पत्र पर विचार करने के लिए गया। बैठक में निदेशक ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि सभी मांगों को उन पर विचार करने के पश्चात् तुरंत मान लिया जाएगा। और अन्य मामलों पर वह अपनी संस्तुतियां सरकार को भेज देंगे। इस प्रकार विरोध की यह कार्रवाई पूर्णतया सफल रही और इसमें भाग लेने वाली सभी महिलाएं संतुष्ट एवं उत्साह से परिपूर्ण होकर लौटीं।

बीड़ी मजदूरों का शोषण बंद कराओ : वोरा को पत्र

बीड़ी मजदूर यूनियन आजमगढ़ की ओर से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा के नाम लिखे गए एक पत्र में बीड़ी उद्योग के मालिकों तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़ पर मजदूरों का भयंकर शोषण करने का आरोप लगाया गया है।। पत्र में कहा गया है कि लगभग 3000 बीड़ी श्रमिकों जिनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता और केवल 13-15 रुपये की मजदूरी दी जाती है। किसी भी श्रमिक को अभी तक परिचय-पत्र, वेतन पर्ची इत्यादि नहीं दी गई और न ही उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है। बार-बार सम्पर्क करने पर भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रमिकों को मिलने का समय नहीं देते। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बीड़ी मजदूरों की कामकाजी स्थिति में सुधार और शोषण बंद करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें विवश होकर आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा।

धनबाद में महिलाओं ने जिलाधीश का घेराव किया

कामकाजी महिला समिति के तत्वाधान में गत 30 सितम्बर को सैकड़ों महिलाओं ने धनबाद में अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलूस निकाला। वे जिलाधीश को ज्ञापन भेंट करने के लिए उनके कार्यालय तक गईं। जिलाधीश के न मिलने पर पहले उन्होंने कार्यालय का और फिर उनके बंगले का 2 घंटे तक घेराव किया। विवश होकर जिलाधीश को ज्ञापन लेने के लिए बाहर आना पड़ा। इससे पूर्व एक विशाल जनसभा की गई जिसे का. रमणिका गुप्ता के अतिरिक्त का. रानी देवी, मीरा महतो, मालती राय, ललिता राय, चम्पा कुमारी, संध्या बख्शी, आशा हेम्ब्रम, तथा राजकुमारी इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया। महिलाएं तीर-धनुष, लाठी, भाला और नगाड़ा इत्यादि से लैस थीं।

उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार है : बी सी सी एल में जहां 1986 में पांच हजार पुरुष श्रमिकों को बहाल किया गया था, महिला श्रमिकों को भी रोजगार दिया जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, विस्थापित महिलाओं को नौकरी देने के मामले में प्राथमिकता दी जाए, मशीनों द्वारा लोडिंग का काम बंद किया जाए और इसके लिए महिला श्रमिकों को नियुक्त किया जाए, बी सी सी एल में सुरक्षा बलों को हटाया जाये, अस्थाई श्रमिकों को परिचय पत्र दिए जाएं, सभी खदानों में क्रैच बनाए जाएं तथा सूदखोरी पर प्रतिबंध लगाया जाए इत्यादि।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के श्रमिकों का संघर्ष जारी

अहमदाबाद। महागुजरात मिल मजदूर (सीटू) के नेतृत्व में अर्बुदा मिल रखियाल के श्रमिकों ने मिल बंदी, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, वेतन इत्यादि के नियमित भुगतान और निलम्बित किए गए श्रमिकों को पुनर्बहाल करने की अपनी मांगों के लिए छेड़े गए संघर्ष के प्रथम चरण में उस समय सफलता प्राप्त की जब प्रबंधन ने दीपावली से पूर्व वेतन एवं बोनस का भुगतान कर दिया। ज्ञातव्य है कि इन श्रमिकों ने मिल के मुख्य द्वार पर कपड़ा मिलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 26 अक्तू. को 31-31 घंटे का संकेतक अनशन किया था। यह अनशन का. नूर मो० शेख के नेतृत्व में किया गया। उनके अतिरिक्त सतीश परमार, का. निजामुद्दीन शेख, का. देवतादीन यादव तथा का. पीताम्बर राठौर भी अनशन पर बैठे। 10 कामकाजी महिलाएं जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, भी 12 घंटे के सांकेतिक अनशन पर बैठीं।

विभिन्न कपड़ा मिलों के श्रमिकों की अलग-अलग बैठकें हो रही हैं। यूनियन की ओर से 1000 पत्रिकाओं का प्रकाशन करके मिलों की तालाबंदी, श्रमिकों की बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यूनियन के महासचिव श्री सतीश परमार ने बताया कि आधुनिकीकरण के नाम पर शहर की 24 कपड़ा मिलों को बंद कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, अर्बुदा मिल में 2700 श्रमिकों की अप्रैल' 92 में छंटनी की गई अस्थाई मजदूरों का भविष्य अंधकारमय बना दिया है, महिला श्रमिकों को समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जाता तथा मिलों में चालू ठेका पद्धति द्वारा महिला श्रमिकों का भयंकर शोषण किया जा रहा है।

26 अक्टूबर के कार्यक्रम की सफलता से मिल मजदूरों में आत्मविश्वास एवं उत्साह बढ़ा है। मांगों की प्राप्ति के लिए संघर्ष अनवरत जारी है। 27 अक्तूबर को अर्बुदा मिल के गेट के सामने ही एक बड़ी जनसभा की गई जिसे सीटू के जिला सचिव रघुवीर प्रसाद माली ने भी संबोधित किया है।

बिहार समन्वय समिति की बैठक का आयोजन

कामकाजी महिलाओं की बिहार समन्वय समिति की एक विस्तृत बैठक गत 28 अक्टूबर को पटना में हुई। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाली लगभग 25 महिलाओं ने इसमें भाग लिया तथा अपनी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में कोयला, पत्थर खादानों, बीड़ी, मेडिकल, ग्राम सेविकाओं, प्रसव सेविकाओं, अधिकारियों और कुछ मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। का. रमणिका गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की। का. जे एस मजूमदार महासचिव सीटू बिहार राज्य समिति, और का. राधारमण महासचिव राज्य सरकारी कर्मचारी यूनियन ने भी बैठक में भाग लिया तथा अपने विचार व्यक्त किये।

कामकाजी महिलाओं की ओर से विभिन्न उद्योगों में असमान वेतन एवं कम वेतनों का मामला भी बैठक में उठाया गया। उन्होंने बताया कि पत्थर खादानों में तो कामकाजी परिस्थितियां अत्यन्त अस्वस्थ्यकर एवं भयानक हैं। श्रमिकों की सुरक्षा का भी वहां कोई ध्यान नहीं रखा जाता। राज्य सरकार प्रसव सेविकाओं की सेवाएं समाप्त कर रही है। इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नियुक्तियां जाति के आधार पर की जा रही हैं। आंगनवाड़ी में 2 हजार महिलाओं की सरकारी बयान के अनुसार छुट्टी कर दी गई है क्योंकि वे निम्न जातियों से सम्बन्ध नहीं रखती थीं। सीटू सचिव का. विमल रणदिवे ने भारत भर में व्याप्त कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की चर्चा की। उन्होंने वर्तमान समिति से अनुरोध किया कि वह बैठक में हुई बहस के आधार पर काम करे। बैठक में भावी कार्यक्रम का निर्धारण भी किया गया।

का. रमणिका गुप्ता ने बहस को समेटते हुए बैठक का समापन किया। एक नयी समिति का गठन किया गया। का. रमणिका गुप्ता को उसकी सचिव चुना गया। कामकाजी महिलाओं का एक मांग-पत्र भी बैठक में तैयार किया गया।

डंकल प्रस्ताव और कामकाजी महिलाएं

उत्तर पाषाण काल से खेती के साथ महिलाओं का रक्त मांस का संबंध रहा है। अचरज नहीं कि तमाम प्राचीन सभ्यताओं में दजला-फरात की घाटी से लेकर पंचनद तक के क्षेत्र से (अन्नपूर्णा, सिरीस तथा आइसिस जैसे नामों से) धन-धान्य की देवी के रूप में स्त्री की पूजा होती आई है। जैव विविधता से भरी पूरी खेतिहर सभ्यता के इतिहास में बीजों तथा कृषि पद्धतियों के विकास तथा संभाल से लेकर बुआई, निराई, कटाई तथा दराई तक हर प्रकार के कामों में स्त्रियां निपुणता से जुटी हुई देखी जा सकती हैं। अठारहवीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति ने जहां पश्चिम में कृषि व्यवस्था के बरक्स उद्योग नगरियां खड़ी कीं, वहीं औरतों को भी धीमे-धीमे मशीनीकरण के मार्फत कृषि पद्धतियों तथा भू-स्वामित्व से बेदखल करना शुरू कर दिया। उपनिवेशवादी सभ्यता के तहत बीसवीं सदी तक इसका जोर पूर्व में भी बढ़ता गया। फिर आए उन्मुक्त बाजार और 'गैट' करार। इस करार के अंतर्गत समृद्ध पश्चिमी देशों द्वारा विकासशील दक्षिणी गोलार्ध के देशों के लिए डंकल पैकेज तैयार किया गया, जो इसी खतरनाक प्रक्रिया का नवीनतम चरण है। इसका जबरन लागू होना खेतिहर महिलाओं से लेकर शहरी कामगार महिला मजदूरों तक सभी को गहरे से दुष्प्रभावित करेगा।

राष्ट्रीय महिला कोष

इस समय हमारे देश के हर प्रांत में महिलाएं अपने खेतों में अनाज और नगदी फसलों को उगाने के अतिरिक्त बहुत बड़ी तादाद में बड़े खेतिहरों के लिए कृषि कार्य में दैनिक मजदूरी में भी लगी हुई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों तथा केरल के चाय बागानों में तो मजदूरों का 50 से 90 फीसदी तक भाग महिलाओं का ही है। कृषि क्षेत्र में डंकल प्रस्ताव के तहत सबसीडी घटने और बीजों पर पेटेंट फीस लागू होने के बाद जो छंटनियां होंगी, उनकी पहली शिकार यह महिला श्रमिक ही बनेगी। विश्व बैंक के योगदान से बना 'राष्ट्रीय महिला कोष' भी इनकी कितनी सहायता कर पाएगा, कहना कठिन है, क्योंकि मात्र खेती के काम में निपुण इन औरतों के लिए रातोंरात ऐसी स्वाश्रयी कामगार (बुनकर, वस्त्र निर्माता, दुकानदार आदि) बनाना असंभव होगा, जो इस राहत कोष से लोन पा सकें। जिन बीजों को वे अब तक तुम्बी, पोटली, बक्से या बटलोइयों में प्राणपण से संजोकर रखती थीं। वे अब उनकी नहीं, मालदार देशों की कम्पनियों की बौद्धिक संपदा बन जाएंगे, उन पर पेटेंट आदि का नया चक्कर इन निरक्षर अधपेट खाने वाली औरतों का पागलग्रह ही बनेगा। लम्बा, तकनीकी और दुरूह डंकल दस्तावेज जमींदार और साहूकार की बहियों की ही तरह उनके लिए अंततः दुराव भरी अस्पष्टताओं का एक अन्य डरावना पुलिंदा ही साबित होगा।

श्रम कानून लागू नहीं होते

अभी हाल में कारगिल कारखाने पर कर्नाटक के क्षुब्ध किसानों ने हमला बोल दिया। हिंसा की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, पर इन किसानों के भय को नकारना भी नादानी होगी और कारगिल कारखाने को नमक बनाने के लिए भी उस फ्री ट्रेड जोन (मुक्त व्यापार क्षेत्रों) में उद्योग नगरी बनाने के लिए भूमि दी जा रही है, जहां अब तक लगभग आम कारखानों में आवश्यक महिला कामगार संवैधानिक रूप से तय न्यूनतम मजदूरी से कम तथा असमान मजदूरी पर काम करती रही हैं। कारगिल वाले यह भला क्यों बदलेंगे ? इन मुक्त क्षेत्रों में पहले भी कम्पनी मालिक का ही एकछत्र साम्राज्य होता है, क्योंकि देश के श्रम कानून वहां नहीं लगते, न ही वहां मजदूर संगठन बनाए जा सकते हैं। ऐसे इलाकों में भी महिलाओं का शोषण नहीं होगा, यह उम्मीद वैसी ही है जैसे दूध की रखवाली को बिल्ली बिठाकर दूध के बचे रहने की कामना।

अब तक का इतिहास

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अब तक का इतिहास इस बात का भी गवाह है कि मेजबान देश में वे प्रायः कम लागत और देशज संस्थाओं के बूते पर चलने वाली फैक्ट्रियां ही लगाती हैं और वहां भी गैरजरूरी चीजों का उत्पादन ही अधिक करती हैं जैसे कीमती कपड़ा, डब्बा बंद खाद्य तथा पेय और प्रसाधन सामग्री। जो प्रौद्योगिकी भी वे लगाती हैं, वह उनके अपने यहां प्रायः प्रतिबंधित की जा चुकी होती है। अतः उनमें नौकरी पाकर महिला कामगारों की दैहिक दशा सुधरने की कम उम्मीद है। वहां पारंपरिक देशी उद्योग मसलन बुनकरी, मछली तथा रेशम-कीट पालन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जो महिलाओं को सबसे अधिक काम देते हैं, नई प्रतिद्वंद्विता तथा निर्यात पर लगी रोकों से पूरी तरह चौपट हो जाएंगे। इनसे बेदखल हुई महिलाएं क्या काम पकड़ेंगी ? डंकल के पैराकारों का सरदर्द नहीं।

सेवा क्षेत्र की स्थिति

संगठित क्षेत्र में महिलाएं इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में सार्वजनिक क्षेत्रों, उनमें भी सेवा क्षेत्र में लगी

[शेष पृष्ठ 12 पर]

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी महिलाओं ने गिरफ्तारियां दीं

□ किरण मोघ

नरसिम्हा राव सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 19 अगस्त, 93 को पुणे जिले के खेड तालुका में 250 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं एकत्रित हुई और उन्होंने गिरफ्तारियां दीं। उनके साथ जनवादी महिला संगठन की स्थानीय शाखा की सदस्याओं ने भी गिरफ्तारियां दीं। महिलाओं ने तहसीलदार के कार्यालय तक मार्च किया तथा उन्हें एक याचिका भेंट की और कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तहसीलदार ने उत्तर दिया कि यदि गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ेगा। "हमें कोई चिंता नहीं है" महिलाओं ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। उन्हें अंततः गिरफ्तार करके उसी सायं 6 बजे छोड़ दिया गया।

पुणे शहर, परभानी, चन्द्रपुर और सांगली-प्रत्येक स्थान पर यही कहानी दोहराई गई। उस दिन सैंकड़ों महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी। सतारा शहर में भी महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने अपने गांवों से सतारा पहुंचने के लिये 50-50 से अधिक रुपयों का किराया लगाया था। नागपुर और अमरावती में उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। फिर भी वे बहादुरी के साथ वहां डटी रहीं, उन्होंने नारे लगाए और सरकार की जन विरोधी नीतियों की भर्त्सना की। चांदपुर में तो 16 तारीख को ही यूनियन की उपाध्यक्ष कामरेड रामचन्द्र दाहीवाडे को गिरफ्तार कर लिया गया था।

संघर्ष जारी रहा। आंगनवाड़ी महिलाओं ने 9 सितम्बर '93 को दिये गए 'भारत बंद' के आह्वान का शानदार प्रतियुत्तर दिया। उस दिन राज्य में प्रत्येक आंगनवाड़ी परियोजना बंद रही। यह राज्य आंगनवाड़ी यूनियनों जिनमें सीटू भी शामिल है, के द्वारा संयुक्त रूप से किये गए प्रयासों का ही प्रतिफलन था। दुर्भाग्यवश 19 अगस्त को ऐसी एकजुटता का परिचय नहीं दिया जा सका। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी संयुक्त समिति ने इसका आह्वान किया था तथापि अन्य यूनियनों ने 'जेल भरो' आंदोलन में भाग नहीं लिया।

इन दोनों कार्रवाईयों में आंगनवाड़ी महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया है। इससे उनकी बढ़ रही राजनीतिक चेतना का परिचय मिलता है। अब तक ये महिलाएं अपनी मांगों के लिये ही भारी संख्या में संघर्ष की कार्रवाईयों में भाग लेती रही हैं। वे अब विशाल मुद्दों पर शेष मजदूर वर्ग के साथ संयुक्त संघर्षों में भी भाग लेने लगी हैं। यह उनकी बढ़ी राजनीतिक चेतना का ही प्रतीक है।

यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने सम्बन्धी आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मुख्य एवं केन्द्रीय मांग को नयी आर्थिक नीतियों जिनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना है, के मूल ढांचे के अन्तर्गत कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले ही आई सी डी एस परियोजनाओं को स्वयंसेवी संगठन बनाने की कार्रवाई को कार्यरूप दिया जा रहा है। महिलाएं सरकार के इस घिनावने खेल के विरोध में विशाल स्तर पर प्रतिरोध करके ही इसे रोक सकती हैं। उनके आगे, बस यही एकमात्र रास्ता है।

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी महिलाओं पर अब अतिरिक्त कार्य का बोझ डाला जा रहा है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्हें एक और घंटा लगा कर बालवाड़ी चलाने और 0-15 आयु समूह के बच्चों के रिकार्ड रखने को कहा जा रहा है। उन पर साक्षरता कार्यक्रम थोपा जा रहा है। उनके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। हमारी यूनियन ने अतिरिक्त कार्य लादे जाने का प्रतिकार किया है और इसके लिये अतिरिक्त मानदेय देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधायकों, पंचायतसमिति एवं जिला परिषदों के अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों के मानदेय में भारी वृद्धि करने की घोषणा की थी किन्तु इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पैसे न होने की घोषणा भी कर दी।

इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हाल ही में 'आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति महाराष्ट्र' के नाम से बनाए गए संगठन के झंडे तले एक नवम्बर '93 को राज्य सचिवालय तक मार्च किया गया।

केरल में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष

बी. प्रसन्ना कुमारी

केरल में डाक-तार विभाग की महिला कर्मचारियों ने ई. डी. के प्रति भेदभाव के विरोध में आवाज उठाई है।

18 अगस्त को इन महिला कर्मचारियों ने अपनी मांग के पक्ष में सार्वजनिक स्थलों पर धरने दिये। वे मांग कर रही थीं कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल (विभाग के अतिरिक्त) महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिया जाए। देश-भर में साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नियमित स्टाफ के समान कार्य करते हैं। वे पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन के रूप में भी कार्यरत हैं। किन्तु ई. डी. डी. ए. या ई. डी—बी पी एम को बहुत ही कम मासिक आय पर संतोष करना पड़ता है। एन एफ पी टी ई के झंडे तले कई संघर्ष करने के फलस्वरूप ही उन्हें 240 से 640 रु. तक की आय होने लगी है। उन्हें कोई अवकाश या अन्य कोई लाभ नहीं दिया जाता है। इन कर्मचारियों में अधिकांश महिलाएं ही हैं। उन्हें प्रसूति अवकाश तक नहीं दिया जाता। यदि उन्हें किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने या परिवार के ही किसी कार्य के सम्बन्ध में जाना पड़ता है तो उन्हें उस व्यक्ति को अपनी जेब से पैसों का भुगतान करना पड़ता है जो उनके स्थान पर उनकी अनुपस्थिति में कार्य करता है। राज्य महिला उप समिति तथा पी एण्ड टी समन्वय समिति ने इस भेदभाव के विरोध में आवाज उठाने का आह्वान किया है। ई डी स्टाफ को एक भी प्रसूति अवकाश नहीं दिया जाता। इसके विरोध में टेलीफोन एक्सचेंज, तार-घर, डाक-घर के स्थायी कर्मचारियों ने भी ई डी स्टाफ सार्वजनिक स्थानों पर धरने दिये हैं। इनका नेतृत्व जिला स्तरीय महिला समितियों और डाक-तार यूनियनों की स्थानीय समन्वय समितियों (एन एफ पी टी ई) द्वारा किया गया।

नर्सों का संघर्ष

कामरेड थम्पी निलम्बित—केरल गवर्नमेंट नर्सिज एसोसिएशन की महासचिव कामरेड पी. के. थम्पी को संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने निलम्बित कर दिया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय में व्याप्त रिश्वत खोरी और भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का साहस दिखाया था। केरल भर की नर्सों ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई का तुरंत प्रतिकार किया। राज्य तथा जिला स्तरों पर विरोध प्रदर्शनों और धरनों का आयोजन किया गया।

एसोसिएशन (के जी एन ए) की ओर से राज्य स्तरीय गाड़ी-जत्था संगठित किया और इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग में यू डी एफ सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में अभियान चलाया गया।

कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति की 14-8-93 को कामरेड भानुमति की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में बताया गया कि विभिन्न महिला संगठनों की ओर से आयोजित 10 अगस्त के कार्यक्रम में कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया है। 11 अगस्त को कर्मचारियों ने बिल्ले लगाए और ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। 9 सितम्बर के भारत बंद और औद्योगिक हड़ताल को भारी सफल करने हेतु जिला स्तर पर अभियान कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई थी। यह भी बताया गया कि आंगनवाड़ी समिति की बैठक 6 अगस्त को हुई। कामरेड वी जी भास्करा नायर, कामरेड नाज़ेमुन्नेज़ा और कामरेड कमलामा ने उसमें भाग लिया। उसमें सदस्यता कार्य और जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई थी।

हैदराबाद कक्षा के क्रम में ही राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कक्षाएं लगाई जाएंगी। एरनाकुलम जिला समिति की ओर से 5 अगस्त को ट्रेड यूनियन कक्षा लगाई गई जिसमें 21 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 94 महिला श्रमिकों ने भाग लिया। कामरेड ई एम श्रीधन (नयी आर्थिक नीतियों पर), कामरेड वी. बी. चेरियन (ट्रेड यूनियन तथा महिला श्रमिकों पर), तथा कामरेड नाज़ेमुन्नेज़ा (कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर)

[शेष पृष्ठ 13 पर]

जी.टी.बी- अस्पताल में पूर्ण हड़ताल

मोइली दास

गुरू तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली की नर्सों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश करके यमुनापार क्षेत्र के इस एकमात्र बड़े अस्पताल का काम ठप्प कर दिया। अस्पताल की 300 से अधिक नर्सों में से एक भी नर्स ने ड्यूटी नहीं दी और न ही सुपरवाइजरी स्टाफ की दो नर्सों और सुपरिटेंडेंट ने काम किया। सामूहिक अवकाश करने के पश्चात् नर्सें अस्पताल के सामने इकट्ठी हुई और उन्होंने धरना दिया। धरनाकारियों को उनके नेताओं के अतिरिक्त अन्य महिला संगठनों की नेत्रियों ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने सचिव (मैडिकल), दिल्ली प्रशासन के अक्खड़ व्यवहार और पूर्णतया कठोर दृष्टिकोण के विरोध में नारे लगाए।

नर्सें अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी, वर्षों से उन्हें पदोन्नति न दिये जाने और आवासीय व्यवस्था के अभाव के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त कर रही थीं। यद्यपि स्थानीय प्रबंधन उनकी मांगों से सहमत हो गया है तथापि दिल्ली प्रशासन ने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया है। यही कारण है कि नर्सें इतना बड़ा कदम उठाने पर विवश हुई हैं।

यद्यपि अस्पताल के प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वहां 1053 नर्सों की आवश्यकता है किन्तु वहां केवल 300 नर्सों पर ही पूरे काम का बोझ डाला गया है। इससे उन पर असहनीय काम का बोझ पड़ा है और इसके लिए उन्हें अपनी ड्यूटी से भी कई-कई घंटे अधिक काम करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया जाता। उन्हें आकस्मिक अवकाश लेने की अनुमति नहीं है और छुट्टी किये बिना लगातार 2-3 शिफ्टों में काम करने पर विवश किया जाता है। नर्सों की पदोन्नतियां लम्बे समय से रोकी हुई हैं और दिल्ली प्रशासन ने अभी तक नर्सों के साथ हुए फरवरी 1990 के समझौते को कार्यरूप नहीं दिया। यद्यपि यह अस्पताल नया है तथापि प्रबंधन नर्सों के लिए उनकेवेतन मान और संख्या के आधार पर मकानों का निर्माण नहीं करा सका। नर्सों ने अक्टूबर के चौथे सप्ताह से हड़ताल शुरू करने और उसे लगातार जारी रखने से सम्बन्धित दिल्ली प्रशासन को पूर्व सूचना भेजी थी।

महिला समस्याओं पर पटना में राज्य-स्तरीय धरना

अखिल भारतीय बिहार राज्य जनवादी महिला समिति की ओर से गत 2 नवंबर को पटना के डाक बंगला चौराहे पर महिला समस्याओं को लेकर राज्य-स्तरीय धरना दिया गया। धरने के पश्चात् एक जनसभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता का. नलिनी तिवारी ने की। संगठन की सचिव का. सुधा बिन्दु मिश्र, रामपरी रामपुकारी देवी, अपर्णा भट्टाचार्य इत्यादि ने जनसभा को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने घोषणा की कि फरवरी 1994 में बिहार की महिलाओं की समस्याओं को लेकर पटना में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। धरने के पश्चात 15 सूत्री मांगों पर आधारित एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। यह धरना महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों, अपहरण, बलात्कार, दहेज हत्या जैसी घटनाओं और पुलिस दमन के विरोध में दिया गया था। समिति ने महिला आयोग का गठन करने, जमीन में संयुक्त पट्टा देने, तथा रोजगार में महिलाओं को विशेष सुविधाएं देने की मांग भी की है। समिति की ओर से महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ 2 हजार रुपये, दवाईयां एवं कपड़े भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त और 10 हजार रुपये भेजने की घोषणा भी की गई है।

(पृष्ठ 9 का शेष)

हैं। गैट परिवार का स्नेही बिरादर विश्व बैंक वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र को तितर-बितर करने को विकासशील देशों पर दबाव डाल रहा है, उधर डंकल ड्राफ्ट की मान्यता है कि विकासशील देशों के सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंक, बीमा आदि) सार्वजनिक क्षेत्र में पनप न पाएं, उनका निजीकरण हो, उसमें भी विदेशी कम्पनियों को जगह मिलनी चाहिए। कहना न होगा कि इससे इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों की तादाद तथा स्वरूप तो बदलेंगे ही, इन क्षेत्रों की प्राथमिकताएं भी जरूर बदलेंगी। बैंक व्यवसाय हो या चिकित्सा जगत, हर जगह समाजवादी दृष्टिकोण के बजाय मुनाफे को प्रधान मानने वाला पूंजीवादी दृष्टिकोण ही प्रबल होता चला जाएगा। लिहाजा गरीब लोग सरकारों तथा समाजों के लिए क्रमशः उपेक्षणीय बनते जाएंगे और चूंकि गरीबी रेखा के नीचे तीन चौथाई तादाद स्त्रियों बच्चों की है, उनके हश्र का अनुमान करना कठिन नहीं।

—मृणाल पाण्डे

(पृष्ठ 3 का शेष)
सहयोग से संघर्ष चलाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के विरोध में राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़े भारी स्तर पर लामबंद किया जाना चाहिए। समिति ने फेडरेशन द्वारा बनाए गए संघर्ष के कार्यक्रम पर अमल करने का निर्णय किया है। इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम सुझाया गया है—प्रधान मंत्री को पत्र लिखे जाएंगे। अभियान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों की ओर से प्रधान मंत्री के नाम पत्रों का प्रेषण होगा, परियोजना स्तरीय सभाओं का आयोजन होगा और बाद में राज्य विधान सभा के समक्ष भी एक जनसभा की जाएगी।

समिति ने अंग्रेजी पढ़ी-लिखी कार्यकर्ताओं भले ही उनकी संख्या कम है तक कामकाजी महिलाओं की आवाज पहुंचाने और सीटू की तेलगू मासिक पत्रिका 'कर्मिकालोकम' में उनकी समस्याओं को प्रकाशित कराने का निर्णय किया है।

यह निर्णय भी किया गया कि जिलों से गतिविधियों एवं समस्याओं से सम्बन्धित रिपोर्टें नियमित रूप से राज्य केन्द्र को भेजी जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी महिलाओं की जीत

महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री शरद पवार ने गत 6 अक्टूबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय में क्रमश: 100 रुपये तथा 75 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह वृद्धि 2 अक्टूबर 1992 से लागू की गई। इस के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में शायद आंगनवाड़ी महिलाओं को देश के दूसरे भागों की तुलना में सर्वाधिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र सरकार ने मई '92 में आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय में 100 तथा 75 रु. की वृद्धि की थी। इसके साथ-साथ उनके कार्य समय एवं उत्तरदायित्वों को भी बढ़ा दिया गया था। इसलिए जब भारत सरकार ने 125 तथा 90 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की तो राज्य सरकार ने बड़ी आसानी से उक्त राशि को पूर्व वृद्धि के साथ समायोजित कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को काम के अतिरिक्त बोझ के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया।

आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन (महाराष्ट्र) ने पिछले वर्षों में इस घोर शोषण और अन्याय के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करती रही हैं। कई विरोध कार्रवाइयों और याचिकाएं दिये जाने पर भी सरकार की ओर से मांगों को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया गया। इस पर सभी यूनियनों ने 1 नवम्बर '93 को मंत्रालय तक जबर्दस्त प्रोटेस्ट मार्च करने का निर्णय किया। फिर भी आंगनवाड़ी महिलाओं की एकजुटता और जुझारू भावना को देखते हुए राज्य सरकार ने जल्दबाजी में मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा कर ही दी है।

पिछले यात्रा बिलों और 8 किलोमीटर की दूरी से से आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाने वाले कार्यकर्त्ताओं को यात्रा का भुगतान करने की मांग भी स्वीकार कर ली गई है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकार ने हमारी यूनियन से अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सुपरवाइजर के रूप में नियुक्ति करने और 50 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को सुपरवाइजर बनाने की प्रक्रिया जारी रखने सम्बन्धी भर्ती के माडल नियम तैयार करने को कहा है। ये माडल नियम तैयार किये जा रहे हैं और इन्हें शीघ्र ही राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।

(पृष्ठ 11 का शेष)
ने भाषण दिये।

जिला समिति से 'वायस आफ वर्किंग वीमेन' की ग्राहक संख्या बढ़ाने को कहा गया है।

डाकतार कर्मियों के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई

नौ सितम्बर को डाक-घरों में काम बंद रखने के लिए केरल के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा कर्मचारियों को दण्डित किया जा रहा है। उनके तबादले किये जा रहे हैं, उन्हें निलम्बित किया जा रहा है और उनकी पिछली सेवाओं को रद्द किया जा रहा है। कर्मचारियों ने इसका तुरंत प्रतिकार किया। उन्होंने 10 तारीख को सिट-इन हड़ताल कर दी। डाक तार कर्मचारियों ने 11 को कामरेड सुशीला गोपालन (अध्यक्ष डाकतार समन्वय समिति) के नेतृत्व में पी. एम. जी. कार्यालय की ओर मार्च किया और पी. एम. जी. कर्मचारियों को दण्डित करने सम्बन्धी अपने आदेश वापस लेने पर विवश हुआ।

रूसी महिलाओं का क्रांतिकारी अभिनन्दन

'कामकाजी महिला' अक्टूबर क्रांति की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूसी जनता को क्रांतिकारी अभिनन्दन भेजती है। हमारे देश में कामकाजी महिलाएं उन सैंकड़ों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं जिन्होंने तानाशाह येलत्सिन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये। चार अक्टूबर को महिलाओं ने भी अपने जीवन की आहूति दी है। इतिहास में उस दिन को सदा काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। क्या मांगे थीं इन महिलाओं और पुरुषों की? लोकतंत्र की स्थापना, संसद को भंग करने का विरोध! वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक बार फिर समाजवादी सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते थे।

इस दिन हम उन महिलाओं को याद करेंगे जो 8 मार्च 1917 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लेनिन के आह्वान पर सर्वहारा क्रांति हेतु हाथों में लाल झंडे लिये अपने कारखानों को छोड़ कर गलियों में निकलीं थीं। क्रांति के पश्चात् जारी हुए पहले आदेश में महिलाओं और पुरुषों में समानता, प्रसूति लाभ एवं सुविधाएं तथा बाल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी।

अक्टूबर क्रांति की 76वीं वर्षगांठ से पूर्व जब महिलाएं पूंजीवादी-सामंती बंधन से मुक्त हुई थीं देश की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का 50 प्रतिशत था, जबकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त सोवियत श्रमिकों का 60 प्रतिशत थीं। विश्व की पहली महिला जिसे अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वेलेनटाइन तेरेस्कोवा ही तो थीं। विश्व भर की महिलाओं के लिए यह बड़ी प्रसन्नता और गर्व की बात थी। जिस किसी ने भी पूर्व सोवियत रूस की यात्रा की है उसे सुन्दर क्रैच, बच्चों के लिये खेल के मैदान और देश में महिलाओं की पुरुषों के समान स्थिति को देख कर प्रसन्नता हुई है। आज आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सर्वथा भिन्न है। हम आज उन बहादुर सिपाहियों (इनमें महिलाएं भी शामिल हैं) को याद करेंगे जिन्होंने कामरेड स्तालिन के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर समाजवादी व्यवस्था की उपलब्धियों की रक्षा की थी और हिटलर तथा मुसोलिनी के विरुद्ध लड़ते हुए लाखों की संख्या में अपने जीवन का बलिदान देकर यूरोप में कई समाजवादी देशों को जन्म दिया था!

दुर्भाग्यवश उन दिनों की लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए रोजगार, कल्याण योजनाओं के लाभ, एक अधिकार के रूप में प्रदत्त प्रसूति लाभ जैसी बातें आज येलत्सिन एण्ड कम्पनी के नेतृत्व में लुप्त प्राय: हो चुकी हैं।

येलत्सिन के शासन काल में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये महिलाओं को घंटों तक पंक्तियों में खड़े रहना पड़ता है, डबल रोटी और अंडों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। कई वस्तुएं तो अब काले बाजार की शोभा बढ़ाने लगी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और श्रमिकों के वेतन भी कम हुए हैं।

येलत्सिन सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मार्ग को चुना है। इसी के फलस्वरूप रूसी जनता भी उन्हीं कष्टों-दुखों को झेल रही है जिन्हें इन दिनों हम भारतवासी भोग रहे हैं। वह संसद को भंग करने की सीमा तक चला गया है और उसने दिसम्बर में नये चुनाव कराने के आदेश दिये हैं। वह अमरीका के आदेशों पर काम करता है। संसद सदस्यों तथा जन साधारण ने हजारों की संख्या में संसद (व्हाइट हाउस) का घेराव करके इस अभियान का प्रतिकार किया है। येलत्सिन के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाईं और 500 से अधिक लोग मारे गए।

क्रांति के इस पावन दिवस पर विश्व भर के लोग उन शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये अपने जीवन का बलिदान दिया है। बाजार अर्थव्यवस्था का

वास्तविक अर्थ क्या है और इसका लोगों पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है, यह बात अब धीरे-धीरे लोग अपने अनुभवों से सीख एवं समझते जा रहे हैं। वे अब मुखर होते जा रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

पार्टी की पत्रिका प्रावदा का प्रकाशन 30 दिनों के प्रतिबंध के पश्चात् दो नवम्बर से पुनः होने लगा है। पहले ही दिन उसके प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित सम्पादकीय का शीर्षक इस प्रकार है, "हम वापस लौट आए हैं। हम अपनी धारणाओं को कदापि नहीं बदल रहे, यह बात प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट हो जानी चाहिये। हम वामपक्षी शक्तियों के जनाभिवक्ता और समाजवादी मूल्यों के पक्षधर बने रहेंगे।" इसी प्रावदा ने अक्टूबर क्रांति जो 8 मार्च को शुरू हुई थी, में कामकाजी महिलाओं की भूमिका को सराहा है।

आज, रूस में महिलाओं को "पुनः उसी स्थिति की ओर लौटने के लिए कहा जा रहा है जहां वे पहले कभी थीं।" इसके कारण क्या हैं? वहां मंदा है, पुरुषों के लिए कोई काम नहीं इसलिए महिलाओं को रसोई घरों में वापस चले जाना और अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। हाल ही में जब महिलाओं में चिंताजनक सीमा तक बढ़ रही बेरोजगारी के सम्बन्ध में पूछा गया तो रूस के श्रम मंत्री श्री गेन्नादी ने उत्तर दिया, "जब पुरुष ही बेरोजगार हैं तो हम महिलाओं को काम पर क्यों रखें... अच्छा तो यही होगा कि पुरुष काम करें और महिलाएं घर का काम करते हुए अपने बच्चों की देखभाल करें।" रूस के श्रम मंत्री का यह उत्तर भारतीय जनता पार्टी और उसकी महिला शाखा की नेत्री श्रीमती मृदुला सिन्हा की विचारधारा के साथ मिलता-जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत महिलाओं की समिति को महिलाओं को नौकरी न देने की वर्तमान नीतियों को ही अधिक चिंता है। वहां महिलाओं को वही कोर्स करने के लिए कहा जाता है जो हमारे देश की महिलाएं करती है। ये कोर्स हैं: हेयर ड्रैसिंग, बच्चों की देखभाल करने का काम, कम्प्यूटर आपरेटर, घरेलू नौकरानी, सिलाई इत्यादि।

भारतीय महिलाओं को इन सभी घटनाओं के बारे में सुन कर सदमा पहुंचेगा। कहां तो वे रूसी महिलाओं का अनुसरण करतीं थीं और कहां अब स्वयं रूसी महिलाएं उनका अनुसरण करने लगी हैं। यह सब बाजार अर्थ व्यवस्था के कारण ही हो रहा है और वह भी अमरीकी साम्राज्यवाद के आदेशों पर।

बाजार अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक घृणित चरित्र जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, उन्हें काम (सैक्स) की देवियां बनाना ही है और यह मार्ग अन्ततः उन्हें वेश्यावृति की गर्त में धकेल देता है। समाजवाद के विखंडन के पश्चात् रूस तथा दूसरे राज्यों में पूंजीवाद की सभी विचार-धाराएं पनपने लगी हैं।

आल यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी आफ बोलशेविक की केन्द्रीय समिति की महासचिव नीना आंद्रेयेवा ने पिछली 6 अक्तूबर को किम इल-सुंग यूनिवर्सिटी में भाषण करते समय कहा था, "समाजवाद का उद्देश्य अपराजेय है।"

मजदूर वर्ग तथा जनसाधारण आज बाजार अर्थ-व्यवस्था द्वारा उत्पन्न किए गए संकट को झेल रहे हैं और वे उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूर्वी जर्मनी में जर्मन जनता एक बार फिर 'बर्लिन की दीवार' बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त जर्मनी में वे भी रूसी श्रमिकों की भांति दुख-तकलाफें झेल रहे हैं। वर्तमान नीतियों और लोगों पर उनके प्रभाव को देखते हुए निकट भविष्य में रूसी जनता का भी उससे मोह भंग होना निश्चित है। वे अधिक मुखर होंगे और येलत्सिन की तानाशाही के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द करेंगे।

चार अक्टूबर के नरसंहार के बावजूद शहीदों का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। महिलाएं तथा पुरुष एक बार फिर येलत्सिन की वर्तमान तानाशाही के विरोध में उठ खड़े होंगे और समाजवादी लोकतंत्र एवं समाजवाद की ओर अपने कदम बढ़ाने लगेंगे। भारत में कामकाजी महिलाओं की ओर से हम इस सात नवम्बर को अर्थात रूसी क्रांति दिवस पर अपनी रूसी बहिनों को अपने पूर्ण समर्थन और एकजुटता का विश्वास दिलाती हैं।

[पृष्ठ 2 का शेष]

है । वाम दलों द्वारा प्रयास किये जाने पर भी वामपंथी शक्तियों की मजबूत एकता स्थापित नहीं की जा सकी । इसके फलस्वरूप चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं निकले । यद्यपि ये कुछ सीमा तक संतोषजनक हैं तथापि हमें सर्वसाधारण बीच और काम करने और उन्हें भाजपा की नीति और कांग्रेस की कुचालों जो कम या अधिक एक-दूसरे की सहायता करते हैं और लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, को समझाने की आवश्यकता है । भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का खुला समर्थन करने की घोषणा की थी । दिल्ली के चुनाव परिणाम जहां बहुसंख्य सीटें भाजपा की झोली में चली गई हैं, आंखें खोलने वाले हैं । यहां जनता के मध्य गम्भीरतापूर्वक काम करने की आवश्यकता है ।

पिछले दो वर्षों में वाम दलों, ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों की अभियान समिति ने साम्प्रदायिकता विरोधी मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस सरकार की जन-विरोधी नीतियों को बेनकाब करने में बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास किया है । इसके फलस्वरूप भारी आंदोलन छेड़ा जा सका और अन्तत: 19 अगस्त को जन-कार्रवाई का आयोजन किया गया जिसमें लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दीं और इसके साथ ही 9 सितं. को देश-भर में 'भारत बंद' किया गया ।

कांग्रेस सरकार न केवल सर्वसाधारण के हितों पर कुठाराघात कर रही है जिसके फलस्वरूप करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं अपितु केन्द्रीय श्रममन्त्री श्री पी. ए. संगमा ने तो कामकाजी महिलाओं पर भी धावा बोल दिया है । यही संगमा पहले बार-बार कह चुके हैं कि ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श किये बिना औद्योगिक सम्बन्धों का विधेयक नहीं लाया जाएगा, किन्तु वह इंटक सहित सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा जबर्दस्त प्रतिरोध किये जाने पर भी अचानक यह विधेयक ले ही आए । प्रसूति लाभ विधेयक में संशोधन किया जा रहा है । उसमें एक नयी धारा जोड़ी जा रही है जिसके अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात् प्रसूति लाभ एवं अवकाश से वंचित किया जा सकेगा । हमारे देश में पहले ही 30 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हैं और जो काम पर लगी भी हुई हैं उन्हें नया कानून बनने पर बेरोजगार कर दिया जाएगा । आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि अब ये वस्तुएं साधारण जनता की पहुंच में ही नहीं रहीं । भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही इन मुद्दों की अधिक परवाह नहीं है ।

यद्यपि कुछ राज्यों में भाजपा की पराजय से देश की राजनीतिक स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है तथापि हमें और भी अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है । दोनों ही सम्प्रदायों में धार्मिक भावनाएं बहुत सुदृढ़ हैं और महिलाएं तो इन भावनाओं से अधिक वशीभूत हैं । जनता के विभिन्न वर्गों को उनसे सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर ट्रेड यूनियनों की अभिमान समिति और जन संगठनों के मंच के अन्तर्गत आंदोलन में लाना होगा । कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और निजीकरण के खतरे को अनुभव करते हुए जिसका परिणाम बेरोजगारी और तालाबंदियों के रूप में सामने आ रहा है, मजदूर तथा मध्य वर्गीय कर्मचारी संघर्ष के मैदान में उतर रहे हैं ।

ऐसी कठिन परिस्थिति में, सी पी आई (एम) हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ और सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती थी । आखिर साधारण जनता की ओर से राज्य विधान मण्डलों के भीतर और बाहर कौन आवाज उठाएगा । आने वाले समय में जब तक हम सरकार की जो हमारे देश को बेचने पर तुली हुई है, आर्थिक नीतियों और तत्ववादियों दोनों के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा देश खतरे में ही रहेगा ।

Book Post